

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ-4-2/2022-दस-1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची "तीन"

{नियम 9 (4) देखिये}

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वन विभाग	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा, सहायक वन संरक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	21 वर्ष	28 वर्ष	अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/ इन्जिनियरिंग/ तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।

2/ उक्त नियम दिनांक 01-01-2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

No. F-4-2/2022/X-1 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh, State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-III"

{see Rule-9(4)}

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

Name of the Department	Name of the Service, Post Minimum and Pay Scale where in the appointment shall be made by recruitment	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Forest Department	Madhya Pradesh, State Forest Service Assistant Conservator of Forests, (Junior Scale)	21 Years	28Years	A candidate must possess bachelor's degree in any branch of Science/ Engineering / Technical

2/ The above rules shall be deemed to have come into force from 01/01/2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ-1/1/34/0004/2023-1-10, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) वन सेवा (भर्ती) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-"तीन"
(नियम-8 (2) देखिये)
मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5
वन विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) वन सेवा (भर्ती) नियम, 1967 (वनक्षेत्रपाल)	21 वर्ष	28 वर्ष	अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/ इंजीनियरिंग/ तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।

2/ उक्त नियम दिनांक 01-01-2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव,

No. F-1/1/34/0004/2023-1-10:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh, Class III (Non Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1967, Namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE – "III"

See Rule – 8(2)

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

Name of the Department	Name of the Service, Post and Pay Scale where in the appointment shall be made by recruitment	Mini-- mum Age limit	Maxi- mum Age limit	Educational Qualification Prescribed
1	2	3	4	5
Forest Department	Madhya Pradesh, Class III (Non Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1967 (Forest Ranger)	21 Years	28 Years	A candidate must possess bachelor's degree in any branch of Science / Engineering / Technical.

2/ The above rules shall be deemed to have come into force from 01/01/2021

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMR, Addl. Secy.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 29th November 2023

“CORRIGENDUM”

No. D-4964.— In the notification No. A-6844 Jabalpur, dated 22nd November, 2023, which was published in the Part 4 (ग) of M.P. Rajpatra, No. 47, Bhopal, dated 24th November, 2023 relating to amendment in the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961”.

1. अध्याय 16, नियम 354—क में, शुरुआत में शब्द “मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अधीन” को विलोपित किया जाए एवं शब्द “निराकृत किए गए” एवं शब्द “मोटरयान दुर्घटना” के बीच में शब्द “मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के अधीन के” अन्तःस्थापित किया जाए.
2. “In Chapter XVI, in Rule 354-A, between the words “claim cases” and “disposed of” the words “Under Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994” shall be inserted and between the words “lok Adalat” and “be preserved”, the words and comma “under the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994,” Shall be deleted.”

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.